

**समाहरणालय, बक्सर**  
**(सामान्य शाखा)**

**आदेश**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना के पत्रांक- 13293, दिनांक- 05-10-1991, पत्रांक- 2822, दिनांक- 27-04-1995 एवं पत्रांक- 11462, दिनांक- 24-08-2016 में निहित प्रावधानानुसार एवं दिनांक- 05-09-2020 को सम्पन्न जिला अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही अनुशंसा ज्ञापांक-01-1657/स्था0, दिनांक- 25-09-2020 के आलोक में स्व0 हंसराज पासवान, चौकीदार, थाना- डुमरौव के पुत्र श्री सोनू पासवान, ग्राम+पोस्ट-मठिला, अंचल- डुमरौव, थाना- कोरानसराय, जिला- बक्सर, जिनकी जन्मतिथि 25-02-1993 तथा शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक है, को चौकीदार के पद पर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन-1800 के लेवल-1 एवं समय समय पर सरकार द्वारा अनुमान्य भत्तों एवं निम्न शर्तों के साथ नियुक्त किया जाता है :-

1. यह नियुक्ति परिवीक्षा के आधार पर की गयी है। परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष की होगी। परिवीक्षा की अवधि में इनकी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जायेगी तो परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है। अगर वर्धित अवधि के दरम्यान भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी गयी तो उस परिस्थिति में सेवा समाप्त की जा सकती है।
2. यह नियुक्ति विल्कुल अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना एवं कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
3. नवनियुक्त चौकीदार की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर की गयी है, फलतः मृतक के आश्रितों का भरण-पोषण करने हेतु पूर्णतः जिम्मेवार होंगे। ऐसा नहीं करने पर इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जायेगी तथा परिलब्धियों का एक अंश काटकर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतान किया जायेगा।
4. नियुक्त व्यक्ति द्वारा मृतक के आश्रितों को भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है तो नियुक्त पदाधिकारी द्वारा कारण पृच्छा कर इनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।
5. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र मूल में प्रस्तुत करना होगा।
6. योगदान के लिए कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
7. वेतन का भुगतान योगदान स्वीकृति की तिथि से देय होगा।
8. मैट्रिक के शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन निगरानी पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पत्रांक- नि0-8840, दिनांक- 29.12.2020 से करा लिया गया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक, बक्सर के ज्ञापांक- 433/सा0शा0, दिनांक- 17.12.2020 द्वारा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें नाम, पता सही एवं इनके विरुद्ध कोरानसराय थाना में कोई शिकायत दर्ज नहीं है, प्रतिवेदित किया गया है।

श्री सोनू पासवान, पिता- स्व0 हंसराज पासवान, ग्राम+पोस्ट-मठिला, अंचल- डुमरॉव, थाना- कोरानसराय, जिला- बक्सर को निदेशित किया जाता है कि नियुक्ति पत्र निर्गत होने के 30 (तीस) दिनों के अन्दर पुलिस अधीक्षक, बक्सर के कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। यदि (तीस) दिनों के अन्दर योगदान नहीं किया जायेगा तो इनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

६०/

जिला पदाधिकारी,  
बक्सर।

ज्ञापांक.....सा0, दिनांक...../...../2021  
प्रतिलिपि:- श्री सोनू पासवान, पिता- स्व0 हंसराज पासवान, ग्राम+पोस्ट-मठिला, अंचल- डुमरॉव, थाना- कोरानसराय, जिला- बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर पुलिस अधीक्षक, बक्सर के कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा यह माना जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं है तथा नियुक्ति रद्द मानी जायेगी।

६०/

जिला पदाधिकारी,  
बक्सर।

ज्ञापांक.....सा0, दिनांक...../...../2021  
प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, बक्सर/ असैनिक शल्य चिकित्सक-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर/ अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरॉव/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, डुमरॉव/ अंचलाधिकारी, डुमरॉव/ वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव/ थानाध्यक्ष, कोरानसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर/ आई0टी0मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि जिले के वेबसाइट पर अप-लोड करना सुनिश्चित करें।

६०/

जिला पदाधिकारी,  
बक्सर।

ज्ञापांक ०२-२६। सा0, दिनांक ०३ / २ / 2021  
प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना/ अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति-सह-जिला पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।

६०/ २०२१  
जिला पदाधिकारी,  
बक्सर।

श्री सोनू पासवान, पिता- स्व0 हंसराज पासवान, ग्राम+पोस्ट-मठिला, अंचल- डुमरॉव, थाना- कोरानसराय, जिला- बक्सर को निदेशित किया जाता है कि नियुक्ति पत्र निर्गत होने के 30 (तीस) दिनों के अन्दर पुलिस अधीक्षक, बक्सर के कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। यदि (तीस) दिनों के अन्दर योगदान नहीं किया जायेगा तो इनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

६०/

जिला पदाधिकारी,  
बक्सर।

ज्ञापांक.....सा0, दिनांक...../...../2021

प्रतिलिपि:- श्री सोनू पासवान, पिता- स्व0 हंसराज पासवान, ग्राम+पोस्ट-मठिला, अंचल- डुमरॉव, थाना- कोरानसराय, जिला- बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर पुलिस अधीक्षक, बक्सर के कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा यह माना जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं हैं तथा नियुक्ति रद्द मानी जायेगी।

६०/

जिला पदाधिकारी,  
बक्सर।

ज्ञापांक ०२-२६। सा0, दिनांक ०३/.....२/2021

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, बक्सर/ असैनिक शल्य चिकित्सक-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर/ अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरॉव/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, डुमरॉव/ अंचलाधिकारी, डुमरॉव/ वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव/ थानाध्यक्ष, कोरानसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर/ आई0टी0मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि जिले के वेबसाईट पर अप-लोड करना सुनिश्चित करें।

२६/०३/२०२१

जिला पदाधिकारी,  
बक्सर।